

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -757 / 2007 / अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, वृत्त भिवाडी (अलवर)।
बनाम्

मैसर्स सनरेज इन्जीनियर्स प्राउलि०, भिवाडी।

.....अपीलार्थी
.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : ०५.०४.२०१७

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 420/उपा-भरत/05-06/सीएसटी में पारित आदेश दिनांक 04.07.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी (जिसे आगे “सशक्त अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2003 के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत आरोपित कर 36,27,829/- रूपये तथा धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 19,28,385/- तथा शास्ति रूपये 80,972/- पर व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकारते हुए अन्तर कर पर आरोपित कर रूपये 3,03,001/- को अपास्त किया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांगों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप अपील निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी एक एल पी जी सिलेण्डर निर्माता व्यवसायी है प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित सिलेण्डर सरकारी उपक्रम एस एस इण्डियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम इत्यादि को बेचे जाते हैं। उपरोक्त सरकारी उपक्रम प्रत्यर्थी को माल के क्रय हेतु आदेश देते हैं एवं माल के मूल्य को सरकारी स्तर पर प्रति सिलेण्डर तय किया जाता है। प्रत्यर्थी उपरोक्त कम्पनियों द्वारा दिये गये परचेज ऑर्डर के आधार पर क्रेताओं को माल विक्रय करता है। आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त भारत सरकार की कम्पनियों को जो माल विक्रय किया गया है, उसमें निश्चित अवधि के पश्चात् उक्त कम्पनियों द्वारा जो अन्तिम मूल्य तय किया जाता था उसमें से प्रोविजनल मूल्य उक्त कम्पनियों द्वारा घटा दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा इस संबंध में प्रोविजनल बिलों पर जो कर जमा कराया था, उसे प्रत्यार्पण के रूप में क्लेम किया, जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त मामले में विवादित प्रत्यार्पण योग्य राशि रूपये 3,00,301/- विवादित किया गया है। इसके अतिरिक्त सी-फार्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर आरोपित कर रूपये 33,24,802/- तथा ब्याज 19,28,385/- व अपीलार्थी द्वारा अधिक वसूल किये गये कर रूपये 80,972/- की जब्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 85 संपादित सीएसटी की धारा 9 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा जो भी माल निर्मित किया वह भारत सरकार के उपक्रमों को किया है एवं उक्त माल जो विक्रय किया है उसके संबंध में प्रत्यर्थी ने जब—जब माल सप्लाई किया जो प्रोविजनल रूप से जो बिल जारी किए थे उसके अनुरूप कर जमा करा दिया था। प्रत्यर्थी द्वारा, जो भी माल विक्रय किया जाता है, वह प्रोविजनल कीमत के आधार पर विक्रय किया जाता है, उसी पर कर जमा कराया जाता है। अन्तिम कीमत जो भी तय होती है उसका एक निश्चित फार्मूला सरकार द्वारा तय किया जाता है एवं जो भी अंतिम मूल्य निश्चित किया जाता है, वह भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होता है। प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रक्रिया पूर्व के कई वर्षों से अपनाई जा रही है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल रूप से जो राशि दी गई उसके पश्चात् जब—जब राशि बढ़ी तो प्रत्यर्थी ने बढ़ी हुई राशि पर ही कर जमा कराया परन्तु आलोच्य वर्ष ही एक ऐसा वर्ष था जिसमें कि प्रत्यर्थी द्वारा जो प्रोविजनल बिल जारी किए गए उसमें कटौती की गई एवं जो क्रय मूल्य अनुमोदित किए गए वे प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल बिलों में जारी किए गए, उससे कम थे। इस प्रकार क्रय मूल्यों में कमी होने से प्रत्यर्थी द्वारा जो कर अपने पास से जमा कराया गया था, वह अधिक जमा हुआ एवं उसी की पुर्ण वापसी की मांग जब सशक्त अधिकारी के समक्ष की गई तो उन्होंने तथ्यों पर बिना पूर्णतया गौर किए अविधिक रूप से प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रत्यार्पण की मांग को अस्वीकार दिया एवं उक्त आरोपण किया। प्रत्यर्थी के पास में जो क्रयादेश आते हैं वे हमेशा प्रोविजनल होते हैं एवं उसमें सरकार द्वारा समय—समय पर बदलाव किया जाता रहता है। अगर उस राशि में बढ़ोतरी हुई तो प्रत्यर्थी ने बढ़ी हुई राशि पूर्व में स्वेच्छा से अदा की है। प्रत्यर्थी द्वारा जो प्रतिफल कम्पनियों से प्राप्त हुआ है, उसी पर ही करारोपण किया जा सकता है न कि प्रोविजनल राशि पर। प्रत्यर्थी द्वारा जो एसटी—५ए प्रपत्र प्रस्तुत किया गया उसमें भी प्रत्यर्थी उपरोक्त स्थिति को प्रदर्शित किया था। प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर समस्त जानकारियां सशक्त अधिकारी को उपलब्ध कराई थीं प्रत्यर्थी द्वारा आवश्यक सभी तथ्य सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा अकारण ही निरस्त किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल बिलों में पेटे 3,00,301/- का अधिक कर अपने पास से जमा कराया था एवं उसे पुनः प्राप्त करने का प्रत्यर्थी हकदार है। यह विवाद योग्य राशि जो क्रय मूल्यों को घटाने के फलस्वरूप हुई है उसी के अनुरूप ही प्रत्यर्थी प्रत्यार्पण मांगा गया था। इस प्रकार जो प्रत्यर्थी को मूल्य प्राप्त ही नहीं हुआ है, उस पर जो करारोपण किया गया है, वह पूर्णतया अनुचित है। उनका संव्यवहार अधिनियम की धारा 2(एच) के अन्तर्गत परिभाषित विक्रय मूल्य के अनुरूप नहीं होना भी विद्वान अभिभाषक ने उद्विरित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा दिया गया एक क्रयादेश भी नमूने के रूप में प्रस्तुत किया एवं इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा उक्त बिन्दु पर जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिक प्रदान किया गया था उसे प्राप्त करने हेतु कमिशनर अपील कस्टम एवं सेन्टल एक्साईज के अपील निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की। अप्रार्थी द्वारा

अपने कथन की पुष्टि में (2014) 72 वीएसटी 161 (एम.पी.) मैसर्स गेल इण्डिया लिंग बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश एवं अन्य, 1979 एसटीसी 82 मद्रास (उच्च न्यायालय), मैसर्स बोजाराज टेक्सटाइल मिल्स लिंग बनाम तमिलनाडू राज्य, 18 टीयूडी 184 सहायक आयुक्त प्रतिकरापवचन बनाम विलास उद्योग, 2013 (64 वीएसटी 347 (राजस्थान उच्च न्यायालय) तथा (2009) 24 वीएसटी 321 (राठ०उ०) के उद्धरण प्रस्तुत किये एवं पुरजोर तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तविक प्रतिफल पर ही करारोपण किया जा सकता है।

जहां तक सी-फार्म के अभाव में कायम मांग का प्रश्न है, माननीय अधिवक्ता ने जाहिर किया कि शेष रहे सी-फार्म प्राप्त हो जाने पर सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा पत्र स्वीकार किये जाकर उनके अभाव में आरोपित कर व ब्याज समाप्त कर दिया गया है। अतः वे इस बिन्दु को प्रेस नहीं करना चाहते। इसी प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को जब्त किये जाने संबंधी आदेश में भी सशक्त अधिकारी द्वारा संशोधन कर दिया गया है। अतः उक्त बिन्दु पर भी अब कोई विवाद शेष नहीं हैं। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि प्रत्यर्थी के समस्त संव्यहार भारत सरकार की कम्पनियों के साथ है एवं भारत सरकार की उपरोक्त कम्पनियों अपने क्रय मूल्य घोषित नीति के अनुरूप करती है। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा जो उपरोक्त कम्पनियों द्वारा क्रयादेश के संबंध में, जो पत्र दिए गए, उनमें जो कटौती की गई, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिंग का पत्र संख्या : LPG-MKTG/BVR/MVV 10.08.01
2. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिंग का परिपत्र संख्या : HO/LPG-O/M2 03.11.00
3. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिंग का परिपत्र संख्या : LPG-O/M/2 31.10.2000
4. इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिंग का परिपत्र संख्या : LPG-O/M/1 13.11.02
5. इण्डियन पेट्रोलियम कारपोरेशन लिंग का परिपत्र संख्या : LPG-MKTG/BVR/GM 05.03.01

(2014) 72 वीएसटी 161 (एम.पी.) मैसर्स गेल इण्डिया लिंग बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश एवं अन्य में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :—

"That the provisional invoice price and final price were both controlled by the Petroleum Planning and Analysis Cell. The dealer had no liberty to fix price. The change in sale price was due to the directions and fixation of price by the Petroleum Planning and Analysis Cell because the domestic liquefied petroleum gas was being sold to a consumer at a subsidized price and the shortfall was made good by the manufacturing companies and oil marketing companies on sharing basis as directed by the Ministry of Petroleum and Natural Gas and also partly from the contribution of the Central Government through issue of oil bonds. Hence the sale price of liquefied petroleum gas in the case of the dealer would be the price fixed by the dealer after deduction in the primary invoice on the basis of the credit notes issued subsequently because that was the price, which was realized by the dealer effectively and fixed under the price fixation mechanism. The authority committed an error of law in disallowing the deductions from the total turnover on the basis of the credit notes issued to oil marketing companies which had resulted reduction in the turnover and liability of tax of the dealer."

7. उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक प्रतिफल ही व्यवहारी का पण्यार्वत होगा। जिसको मानने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है अतः इसकी पुष्टि की जाती है।
8. जहां तक सशक्त अधिकारी द्वारा करारोपण करते हुए प्रतिदाय की मांग को निरस्त करने का आधार निम्न प्रकार से अंकित किया है :—

"व्यवहारी ने उक्त विक्रय में से रूपये 48,89,084/- का विक्रय की राशि तेल कम्पनियों द्वारा काटने के कारण उस पर जमा कर जो इस राशि में सम्मिलित है, को वापस करने हेतु निवेदन किया है, जिसका कारण यह बतलाया कि प्रारम्भ में अधिक भुगतान को काट लिया गया है, अतः उस पर जमा कर वापस किया जावे। व्यवहारी का तर्क युक्तिसंगत नहीं है। प्रथम तो व्यवहारी ने कर तेल कम्पनियों से एकत्रित कर उसे जमा कराया है। अतः उसे वापस लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है।"

इस संबंध में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 56 जिसके तहत रिफण्ड दिये जाने के प्रावधान उपबंधित किये गये हैं, की उपधारा (4) निम्न प्रकार से प्रावधित है :—

"(4) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, a refund can be claimed only by the dealer or the person, who has actually suffered the incidence of tax; and the burden of proving the incidence of tax so suffered shall be on the dealer or the person claiming the refund."

9. सशक्त अधिकारी द्वारा इस प्रकार का कोई निष्कर्ष अपने आदेश में नहीं दिया है कि कर भार तेल कम्पनियों पर अथवा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर इन दोनों में वस्तुतः किस पर रहा है। प्रत्यर्थी व्यवहारी उपरोक्त प्रावधान के अनुसार जब ही रिफण्ड का अधिकारी है जबकि उसने कर भार स्वयं ने वहन किया है। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कर भार व्यवहारी द्वारा वहन किया गया है तो उसको रिफण्ड दिया जाना उचित रहेगा अन्यथा नहीं। प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वो इस आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर सशक्त अधिकारी के समक्ष इस संबंध में अपने प्रस्तुत दावे के समर्थन में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

10. उपरोक्तानुसार विभाग की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

5.4.2017
(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष